न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 62/2011/(2011/00002) जिला–अजमेर

श्री मोहन सिंह सुपुत्र श्री भोमा जाति रावत निवासी कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर (स्वर्गवास) जरिये वारिसानः–

1. श्रीमती झूमी पत्नी स्व0 श्री मोहन सिंह जाति रावत
2. श्री उम्मेद सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह जाति रावत
3. श्री सुखदेव सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह जाति रावत
4. श्रीमती नौसर पुत्री स्व0 श्री मोहन सिंह जाति रावत
5. श्रीमती नर्बदा पुत्री स्व0 श्री मोहन सिंह जाति रावत
6. श्रीमती विमला पुत्री स्व0 श्री मोहन सिंह जाति रावत
7. श्रीमती कमला पुत्री स्व0 श्री मोहन सिंह जाति रावत
8. श्रीमती सेठा पुत्री स्व0 श्री मोहन सिंह जाति रावत
9. श्रीमती नीलू पुत्री स्व0 श्री मोहन सिंह जाति रावत
10. श्रीमती भगवती पुत्री स्व0 श्री मोहन सिंह जाति रावत

समस्त निवासीगण ग्राम कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती दाखा पत्नी स्वर्गीय श्री भोला जाति रावत निवासी हाल अंसरी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर (स्वर्गवास) जरिये वारिसानः–
   1/1 श्रीमती कोया पुत्री स्व0 श्री भोजा जाति रावत
   1/2 पतासी पत्नी स्व0 श्री रोडू जाति रावत
   1/3 मोहन पुत्र स्व0 श्री रोडू जाति रावत
   1/4 मुकेश पुत्र स्व0 श्री रोडू जाति रावत
   1/5 श्रीमती रूकमा पुत्री स्व0 श्री रोडू जाति रावत
   समस्त हाल निवास ग्राम अंसरी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. श्री रोडू सुपुत्र श्री भोला जाति रावत निवासी हाल अंसरी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
3. श्री चेतन सिंह सुपुत्र श्री प्रभु सिंह रावत निवासी कोठाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर ।
4. श्री पवन सिंह सुपुत्र श्री प्रभू सिंह रावत निवासी कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
5. श्रीमती छोटी बेवा श्री प्रभु सिंह रावत निवासी कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
6. श्रीमती कंचन पुत्री प्रभु सिंह रावत निवासी कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:17:48 IST
Reason: SelfAttested

7. श्रीमती इन्द्रा पुत्री प्रभू सिंह रावत निवासी कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
8. श्री सांवरा सुपुत्र श्री उगमा जाति रावत निवासी कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर (स्वर्गवास) जरिये वारिसानः–
   8/1 श्रीमती गौरी पत्नी स्व0 श्री सांवरा जाति रावत
   8/2 श्री भगवान सिंह पुत्र स्व0 श्री सांवरा जाति रावत
   8/3 श्री राजू पुत्र स्व0 श्री सांवरा जाति रावत नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती गौरी पत्नी स्व0 श्री सांवरा जाति रावत
   समस्त निवासीगण ग्राम कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
9. श्री गणपत सुपुत्र श्री उगमा जाति रावत निवासी कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
10. श्री मुकेश सुपुत्र श्री उगमा जाति रावत निवासी कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
11. श्रीमती केली बेवा उगमा जाति रावत निवासी कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
12. गीता पुत्री उगमा जाति रावत निवासी कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
13. ज्ञाना पुत्री उगमा जाति रावत निवासी कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
14. तुलसी पुत्री उगमा जाति रावत निवासी कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
15. सुनिता पुत्री उगमा जाति रावत निवासी कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
16. तारा पुत्री उगमा जाति रावत निवासी कोटाज तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
17. तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर अजमेर
दिनांक 28–02–2011 अन्तर्गत अपील संख्या 25/2009
बउनवान दाखा व अन्य बनाम मोहन सिंह व अन्य

––––

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Padiahari
Date: 2021.04.08 15:47:43 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित– 1. श्री निर्मल कुमार [illegible], अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री प्रदीप कुमार शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः—30.12.2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, पीसांगन के द्वारा विवादग्रस्त आराजियात बाबत नामान्तरकरण संख्या 267 दिनांक 15—12—2004 को अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 से 17 के पक्ष में स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28—2—2011 पारित किया गया जो विधिविरूद्ध है जबकि विवादित आराजियात पर भॉतिकी एवं विधिकी कब्जा काश्त अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 से 17 का आज दिवस तक विधिवत चला आ रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ग्राम अंसरी तहसील नसीराबाद के निवासी है। विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को कोई हक अधिकार नहीं है एवं विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का कभी कब्जा नही रहा और न आज है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर नामान्तरकरण संख्या 267 दिनांक 15—12—2004 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, पीसांगन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया गया कि वे अपीलार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। पक्षकारान द्वारा एक राजीनामा प्रस्तुत किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य—मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 पक्षकार ही नहीं थे इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा अपील प्रस्तुत करने बाबत कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई जबकि धारा 96 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार यदि विवादित प्रकरण में पक्षकार नहीं है उस स्थिति में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लिया जाना विधिक एवं न्यायोचित है। उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:47:43 IST
Reason: SelfAttested

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित नामान्तरकरण संख्या 267 दिनांक 15—12—2004 के विरूद्ध अपील दिनांक 14—9—2009 को प्रस्तुत की गई जो भारी मियाद बाहर है। अपीलार्थी के द्वारा आवेदन पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन पत्र

को निरस्त किया जाना आवश्यक था। विवादित भूमि जिस पर अपीलार्थी एंव प्रत्यर्थी संख्या 3 से 17 का कदीमी समय से भौतिक रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा तहसीलदार पीसांगन द्वारा विवादित नामान्तरकरण की स्वीकृति के संबंध में उनके समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, के आधार पर सम्पूर्ण तथ्यों की बिना जांच कर अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 से 16 के पक्ष में स्वीकृत किया गया जबकि विवादित भूमि से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जिसमें उगमा के समस्त वारिसान को पक्षकार ही नहीं बनाया गया जबकि श्री उगमा का पुत्र रणजीत भी मौजूद है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बरवक्त बहस आपत्ति भी प्रस्तुत की इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व आपत्ति के सन्दर्भ में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 से 16 के द्वारा विवादित भूमि पर विकास कर कुंआ खुदवाकर चाही भूमि बनाकर निरन्तर बिना किसी व्यवधान के काश्त की जाती रही है जिसके अनुसार भी अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 से 17 जो कि विवादित भूमि के विधिक खातेदार है। इस प्रकार के तथ्य नामान्तरकरण की अपील में तय नहीं किये जा सकते है। नामान्तरकरण की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग (सरसरी कार्यवाही) है जबकि इस प्रकार के तथ्यों का निर्णय नियमित राजस्व वाद में ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

दोनों पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील के बाबत एक राजीनामा दिनांक 21—3—2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री मोहन सिंह के वारिसान सुखदेव सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह एवं प्रत्यर्थी संख्या 8 के वारिसान श्रीमती गौरी पत्नी स्व. श्री सांवरा, भगवान सिंह पुत्र सांवरा, राजू पुत्र सांवरा नाबालिक जरिये वली माता श्रीमती गौरी पत्नी स्व0 श्री सांवरा, प्रत्यर्थी संख्या 9 से 17 गणपत, मुकेश श्रीमति केली, गीता, ज्ञाना, तुलसी, सुनिता, तारा, लीला एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 से 6 चेतन सिंह, पवन सिंह, छोटी, कंचन एवं इन्द्र एवं पुत्र एवं पुत्रियां प्रभूसिंह समस्त जाति रावत निवासी ग्राम कोटाज तहसील व जिला अजमेर एवं प्रत्यर्थी श्रीमती दाख[illegible]रिसान श्रीमती कोया पुत्री भोला, पतासी पत्नी रोडू, मोहन, [illegible] एवं श्रीमति रूकमा पुत्री रोडू, जाति रावत हाल निवासीगण ग्राम असरी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर जरिये मुख्त्यार आम भंवरलाल पुत्र स्व0 श्री भीमा जाति रावत निवासी ग्राम मियापुर तहसील व जिला अजमेर द्वारा राजीनामें में [illegible]ल्लेखित किया है कि अपर कलक्टर अजमेर के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 267 दिनांक 15—12—2004 की अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:17:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–2–2011 के द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो विचाराधीन है।

पक्षकारान द्वारा राजीनामें में यह भी उल्लेखित किया है कि पक्षकारान के मध्य आपसी समझौता हो चुका है जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 267 दिनांक 15–12–2004 ग्राम केसरपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर को यथावत रखा जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–2–2011 को निरस्त किया जाता है तो किसी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलाधीन भूमि जिस पर अपीलार्थी श्री मोहन सिंह एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात वारिसान एवं प्रत्यर्थी संख्या 8 के वारिस 8/1 से 8/3 एवं प्रत्यर्थी संख्या 9 से 17 का आज दिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 दाखां के उक्त वारिसान को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। पक्षकारान के मध्य समझौता हो जाने के कारण अपीलाधीन भूमि के सन्दर्भ में किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा है। अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–2–2011 को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 267 दिनांक 15–12–2004 को यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की अपील मीमो पर सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पक्षकारान द्वारा दिनांक 21–03–2017 को उक्त अपील बाबत एक राजीनामा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसमें उक्त प्रकरण में दोनों पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने के कारण सभी पक्षकार द्वारा राजीनामे के जरिये यह स्वीकार किया गया है कि अपीलाधीन भूमि जिस पर अपीलार्थी श्री मोहन सिंह एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात वारिसान एवं प्रत्यर्थी संख्या 8 के वारिस 8/1 से 8/3 एवं प्रत्यर्थी संख्या 9 से 17 का आज दिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 दाखां के उक्त वारिसान को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। पक्षकारान के मध्य समझौता हो जाने के कारण अपीलाधीन भूमि के सन्दर्भ में किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा है। अपीलार्थी मोहन सिंह एवं प्रत्यर्थी दांखा के वारिसान द्वारा राजीनामा कर लिया है तो उसके बाद कोई गुन्जाईश नहीं है कि उक्त तथ्य की जांच की जाये। राजीनामें अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की आराजियात में काबिज रहेंगे ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील को राजीनामा दिनांकित 21–03–2017 के आधार पर स्वीकार किया जाकर अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–2–2011 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 25/2019 बउनवान दाखा व अन्य बनाम मोहन सिंह व अन्य को निरस्त करते हुए तहसीलदार, पीसांगन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 267 दिनांक 15–12–2004 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:17:43 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील राजीनामा दिनांकित 21–03–2017 के आधार पर स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (अपर कलक्टर) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–2–2011 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 25/2009 दाखा व अन्य बनाम मोहन सिंह पुत्र भोमा व अन्य विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, पीसांगन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 267 दिनांक 15–12–2004 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.08 15:17:43 IST
Reason: SelfAttested